न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

प्रार्थना—पत्र संख्याः—23/2017 दायर दिनांक **28.02.2017**

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. शमशेरखाँ पुत्र उमेदखाँ, जाति—कायमखानी, निवासी—दीनदारपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना—पत्र
अन्तर्गत आदेश 111 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1. पक्षकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 13.06.2017

प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद दीनदारपुरा में खेत खसरा नम्बर 511/391 रकबा 01.08 बीघा अवस्थित है। उक्त खेत की खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल खतौनी व ट्रेश नक्शा पेश है।

प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 511/391 के पश्चिमी दिशा के पड़ौसी ने प्रार्थी के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत खसरा नम्बर 511/391 रकबा 01.08 बीघा में से 02 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने हल्का पटवारी से अपनी खातेदारी के विवादग्रस्त खेत का सीमाज्ञान करवाया तब प्रार्थी को इस बात की जानकारी हुई। सीमाज्ञान दिनांक 21.01.2015 की छायाप्रति पेश है।

हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी को सीमाज्ञान के जरिये अवगत कराया गया उसके पश्चात् प्रार्थी का पड़ौसी से सीमा विवाद होने की सम्भावना बनी हुई है।

प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 511/391 वाकै सरहद दीनदारपुरा में अवस्थित है जिस पर काश्त प्रार्थी का ही है। खातेदारी व कब्जाकाश्त के अपने खेत में प्रार्थी पत्थर गढी करवाना चाहता है जिससे भविष्य में किसी पड़ौसी से अन्य से किसी व्यक्ति से सीमा सम्बन्धी विवाद न हो, इसलिए पत्थर गढी करवाना आवश्यक हो गया है ताकि समस्त प्रकार से विवादों से बचा जा सके।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना–पत्र संख्या–2017/23
दायर दिनांक 28.02.2017 निर्णय दिनांक 13.06.2017
शमशेरखाँ बनाम् तहसीलदार, वगैरा।

प्रार्थना, प्रार्थी है कि,

सरहद दीनदारपुरा में खेत खसरा नम्बर 511/391 रकबा 01.08 बीघा में पत्थर गढी का आदेश किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते जवाबदेही तलब किया गया।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार कोर्ट में प्रकरण पेश हुआ। पक्षकार उपस्थित हुए। पक्षकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने हेतु निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार डीडवाना से रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार डीडवाना ने अपनी टिप्पणी की कि, प्रार्थी को पत्थर गढी करवाने के आदेश होते है तो पालना कर दी जायेगी व उन्हें कोई एजराज नहीं है।

अतः बाद विवेचन, प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

आदेश 111 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् हस्तगत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर, तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जाता है कि, प्रार्थी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा करवाने पर सरहद दीनदारपुरा में खेत खसरा नम्बर 511/391 रकबा 01.08 बीघा में पत्थर गढी करवाने की कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

निर्णय आज दिनांक **13.06.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–दीनदारपुरा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–23–2017 / रीडर / 2017 / 664 दिनांक 6/7/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत आदेश 111 भू–राजस्व अधिनियम

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. शमशेरखाँ पुत्र उमेदखाँ, जाति–कायमखानी, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner